: 247/2021/NHM

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय राज्य स्वास्थ्य समिति

क्रमांक/एन.एच.एम/सं.वि/2021/ भोपाल, दिनांक 22/09/2021

// आदेश //

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय से जारी की गई निविदाओं के माध्यम से विभिन्न सेवा प्रदायकर्ताओं को जारी किये गये कार्यादेश के आधार पर सेवा प्रदायकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत देयकों के परीक्षण करने तथा निविदा की शर्तो के अनुसार पैनाल्टी अधिरोपित करने तथा भुगतान में कटौत्री की अनुशंसा करने के लिये आउटपुट रिव्यू कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा कमेटी द्वारा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिये प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। कमेटी में निम्न सदस्य होंगें :-

i.	संचालक, एन.एच.एम	– अध्यक्ष
ii.	उपसंचालक भंडार	– सदस्य
iii.	उपसंचालक वित्त	– सदस्य
iv.	संबंधित कार्यक्रम अधिकारी	– सदस्य
v.	संबंधित कार्यक्रम सलाहकार	– सदस्य सचिव

2. स्वीकृत निविदा के विरूद्ध कार्यादेश जारी करने के उपरांत विभिन्न सेवा प्रदायकर्ताओं के द्वारा देयक संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/उपसंचालक को प्रस्तुत किये जायेगे। कार्यक्रम अधिकारी/उपसंचालक द्वारा दिये गये कार्यादेश में उल्लेखित measurable target /milestone की तुलना में प्रस्तुत देयकों का प्रारंभिक परीक्षण कराया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षण में इनवाइस में उल्लेखित कार्यो के संबंध में भौतिक प्रगति से वित्तीय प्रगति का मिलान किया जायेगा। प्रस्तावित भुगतान में निविदा की शर्तो के अनुसार यदि milestone पूर्ण न करने पर पैनाल्टी अधिरोपित की जाना है अथवा अन्य कोई कटौत्री की जाना है, तो उसके संबंध में स्पष्ट अभिमत दिया जायेगा।
3. कार्यक्रम सलाहकार द्वारा प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत प्रकरण में Transaction Advisor का अभिमत ई मेल पर प्राप्त किया जायेगा। Transaction Advisor द्वारा अधिरोपित की जाने वाली पैनाल्टी अथवा अन्य कोई कटौत्री के संबंध में निविदा की शर्तो के आधार पर स्पष्ट अभिमत दिया जायेगा।
4. Transaction Advisor से ई मेल पर प्राप्त अभिमत एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किये गये परीक्षण को सम्मिलित करते हुये एक प्रस्तुतिकरण आउटपुट रिव्यू कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आउटपुट रिव्यू कमेटी के द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/उपसंचालक की अनुशंसा एवं Transaction Advisor के अभिमत के आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में अभिमत दिया जायेगा। आउटपुट रिव्यू कमेटी की अनुशंसा संलग्न करते हुये कार्यक्रम अधिकारी/उपसंचालक द्वारा भुगतान के लिये प्रकरण संचालक, वित्त को प्रस्तुत किया जायेगा।

P.T.O.

5. प्रस्ताव पर मिशन संचालक की अनुमति प्राप्त कर संचालक, वित्त द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक
एन.एच.एम

क्रमांक / एन.एच.एम / सं.वि / 2021 / भोपाल, दिनांक 22 / 09 / 2021

प्रतिलिपिः–

7. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
8. आयुक्त , संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं।
9. संचालक / संचालक वित्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल।
11. समस्त कार्यक्रम अधिकारी / उपसंचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल।
12. उपसंचालक, आई.टी की ओर वेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

मिशन संचालक
एन.एच.एम